

30/5/23 फरावली पेश हुई। वादी एवं वादी-  
वकील अनुपस्थित। फरावली का अपलोगन किया गया।  
वादी एवं वादी वकील द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना  
नहीं करवाई गयी। अतः मूलापवाद ~~09R-5~~ 09R-2/  
09, R-5 में खारिज किया जाता है। फरावली केस का  
शुमार ही कर नम्बर से कम है। बाद प्रती कार्रवाई  
दफ्तर ही। सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
बहरोड़ (अलवर) राज.